

कार्यालय कलेक्टर, जिला-कोरबा, (छ.ग.) एवं पदेन उपसचिव, छ.ग. शासन
राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग

—:अधिसूचना :-

क्र. / 10006 / भूअर्जन / अ-82 / 2022,

कोरबा, दिनांक 26/08/2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि की गंगदेई व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—

अनुसूची

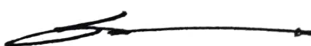
- (1) भूमि का वर्णन —
(क) जिला — कोरबा
(ख) ग्राम — सरईसिंगार
(ग) तहसील — कटघोरा
(घ) क्षेत्रफल — 0.173 हे.

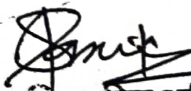
स. क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल	स. क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल	स. क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल
1	23/5	0.004	3	358	0.020	5	517	0.020
2	377/4	0.081	4	491	0.020	6	87	0.028
योग			0.173					

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा


(संजीव कुमार झा)
कलेक्टर
जिला-कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग


अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप संभाग
क्रमांक 1, कटघोरा